न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 208/2024 निर्णय दिनांकः 18.03.2025

ऑनलाईन नम्बर 2024/433

1. तोलाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. उमाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. भीराज
2. रामप्रताप
3. हड़मानाराम

(1 से 3) पुत्रगण भूराराम जाति जाट निवासीगण ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

4. मीरा पुत्री भूराराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी परसनेऊ तहसील रतनगढ़ जिला चूरू
5. रूखमा पुत्री भूराराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी ढुकरियासर हाल निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
6. शांति पुत्री भूराराम पत्नी नौरंगलाल जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल निवासी परसनेऊ तहसील रतनगढ़ जिला बीकानेर
7. खींवराज पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
8. चुकीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
9. रामलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
10. भगवानी पत्नी ओमनाथ जाति सिद्ध निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
11. मदननाथ पुत्र मालनाथ जाति सिद्ध निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
12. सोहनी पत्नी मोटाराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 7 ता 11 की ओर
3. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4 ता 5 की ओर।
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:43:11 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण [illegible] संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 929 तादादी 2.7700 हैक्टेयर रोही ग्राम ढुकरियासर में है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 10/63 हिस्सा, प्रार्थी का संख्या 2 का 10/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या [illegible] 1/63 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/63 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/63 हिस्सा, अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

संख्या 7 का 10/189 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 का 10/189 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 का 10/189 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 का 10/21 हिस्सा राजस्व रिकॉड में दर्ज हैं। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 930 तादादी 0.2500 हैक्टेयर रोही मौजा ढुकरियासर में प्रार्थीगण का 10/63–10/63 हिस्सा स्थित है व अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6, प्रत्येक का 1/63–1/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 प्रत्येक का 10/189–10/189 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 प्रत्येक का 10/63–10/63 हिस्सा राजस्व रिकॉड में दर्ज है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 1011 तादादी 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1012 तादादी 7.1300 हैक्टेयर रोही मौजा ढुकरियासर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/63 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 19/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 प्रत्येक का 10/63–10/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 प्रत्येक का 1/63–1/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 प्रत्येक का 10/189–10/189 हिस्सा राजस्व रिकॉड में दर्ज है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 1110 तादादी 8.7500 हैक्टेयर रोही मौजा ढुकरियासर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/63 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 10/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 10/63 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का 883/7875 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 19/63 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 प्रत्येक का 1/63/1/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 प्रत्येक का 10/189–10/189 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 11 का 9/125 हिस्सा राजस्व रिकॉड में दर्ज है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 752 तादादी 9.1900 हैक्टेयर रोही मौजा ढुकरियासर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/63 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 10/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 10/63–10/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 का 1/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/63 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 का 19/63 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/63 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 प्रत्येक का 10/63–10/63 हिस्सा राजस्व रिकॉड में दर्ज है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 368 तादादी 7.3900 हैक्टयर रोही मौजा ढुकरियासर में प्रार्थीगण का 1/63–1/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, प्रत्येक का 10/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 प्रत्येक का 1/63–1/63 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 प्रत्येक का 10/189–10/189 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 12 का 2/7 हिस्सा राजस्व रिकॉड में दर्ज है। वादगत खेत पहले प्रार्थीगण के पिता भूराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद वादगत खेतो का विरास्तन इंतकाल भूराराम के जायज वारिसानों के नाम से दर्ज हो गया। वादगत खेतो को प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से अपने हक व हिस्सा के रूप में काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण कृषि पैशा व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण के आय का जरिया केवलमात्र उक्त खेत ही है तथा प्रार्थीगण वादगंत खेतो को काश्त कर अपना व अपने परिवारवालों का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण खेत खसरा नम्बर 752 तादादी 9.1900 हैक्टेयर में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 1011 व 1012 में प्रार्थी संख्या 2 [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला [illegible] है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 929 में भी प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा हैं। प्रार्थी संख्या 1 का वादगत खेतो में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार कुल 1.5484 हैक्टेयर करीब 6 बीघा भूमि हक व हिस्सा की है, जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी संख्या 1 कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 का कुल हिस्सा 6.1513 हैक्टेयर यानि करीब 24 बीघा 6 विस्वा भूमि हक व हिस्सा है, जिसे कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण ने वादगत खेतो में अपने हक व हिस्सा खसरान की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए लाखो रूपये खर्च किये है। वादगत खेतो की खातेदारी संयुक्त होने के कारण प्रार्थीगण को कतई प्रकार की परेशानियों से गुरजना पड़ता है तथा प्रार्थीगण को विद्युत कनेक्शन लेने व अपने खेतो पर ऋण आदि लेने में भी परेशानियां पैदा हो रही हैं। प्रार्थीगण वादगत खेतो में अपने जायज हिस्सा को मौका पर कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग के अनुसार तथा बाई मिट्स बाउण्डस के अनुसार विभाजित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाने के लिए उक्त दावा/प्रार्थना पत्र विभाजन के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 929 तादादी 2.77 हैक्टेयर में से 10/63–10/63 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 07.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 10 को विक्रय कर दिया। जबकि वादगत खेत खसरा नम्बर 929 में प्रार्थीगण की फसल काश्त की हुई है तथा मौका पश्चिमी तरफ पट्टियां रोपी हुई है। अप्रार्थीगण बदमाश व चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है जो प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से वादगत खेतो का बिना विभाजन करवाये ही विक्रय करने पर तुले हुये हैं। दिनांक 18.10.2024 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 से आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादगत खेतो का खाता विभाजन करवाने हेतु स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण को ऐलालियां धमकियां दी कि हम वादगत खेत का खाता विभाजन नही करवायेगें व तुम्हे बेदखल करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, बैय हस्तान्तरण कर तुम्हे बर्बाद कर देगें। इसलिए प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा हैं। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 929 तादादी 2.77 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 3.490 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 930 तादादी 0.25 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1011 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1012 तादादी 7.13 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1110 तादादी 8.75 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 752 तादादी 9.1900 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 368 तादादी 7.39 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का कुल हिस्सा 1.5484 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 का कुल हिस्सा 6.1513 हैक्टेयर हिस्सा भूमि निहित हैं। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का सिद्वान्त बनता हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 ने प्रार्थीगण का उनके हिस्सा भूमि से खाता विभाजन किये बिना ही विक्रय, बैय हस्तान्तरण करने की धमकियां दी हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने गलतमंशुबो में सफल हो [illegible] प्रार्थीगण को कभी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो. वादगत खेत खसरा नम्बर 929 तादादी 2.77 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 365 तादादी 3.490 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत खसरा नम्बर 930 तादादी 0.25 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1011 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1012 तादादी 7.13 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1110 तादादी 8.75 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 752 तादादी 9.1900 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 368 तादादी 7.39 हैक्टेयर रोही मौजा ग्राम दुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थीगण के कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही करें, काश्त की हुई फसल को खुर्द–बुर्द नही करें तथा खाता विभाजन होने पूर्व वादगत खेतो को विक्रय, बैय, हस्तान्तरण या अन्य किसी प्रकार मुन्तिकल नही करें तथा ऐसा कोई कृत्य अथवा, अपकृत्य नही करें, जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 7 ता 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया। उभयपक्षकारान द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें व अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रतिप्रार्थना में जवाब पेश नहीं कर प्रतिप्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तादावा फैसला मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान के न्यायिक दृष्ट्रान्त RLW 2004 RJ पृष्ठ संख्या 541 से 547 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 7 ता 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खसरा नम्बर 752 तादादी 9.1900 हैक्टेयर को सभी खातेदार अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है। खसरा नम्बर 752 के उतर हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 3 हड़मानाराम ने अपना मकान बना रखा है, बिजली कनेक्शन ले रखा है। खसरा नम्बर 1011 प 1012 में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते आ हरे है। खेत खसरा नम्बर 929 में भी सहखातेदार अपने–अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी सं. 1 का वादगत खेत में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार 1.4215 हैक्टेयर भूमि हिस्सा पांति में आती है तथा प्रार्थी संख्या 2 का कुल हिस्सा की 6.1366 हैक्टेयर होता है। सभी सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्सा की जमीन काश्त करे आ रहे है। प्रार्थीगण ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं करवा रहे है, अप्रार्थीगण ने तो प्रार्थीगण को कई बार बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन करने हेतु कहा परन्तु प्रार्थीगण ऐसा नहीं कर रहे है। खेत खसरा नम्बर 929 तादादी 2.7700 हैक्टेयर में से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने 10/63–10/63–10/63 हिस्सा भूमि [illegible] अनुसार अप्रार्थी संख्या 10 को विक्रय कर दी, हर खातेदार को अपनी जमीन [illegible] का पूर्ण अधिकार होता है। वादगत खेत खसरा नम्बर 929 किसी भी [illegible] नहीं किया हुआ है। आपसी सहमति से खेत खसरा नम्बर 929 का [illegible] व अप्रार्थी संख्या 1, 4 ता 6 ने संयुक्त रूप से हिस्सा पांति में ले रखी है। प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की जमीन के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के हिस्सा पांति की जमीन है। इस खेत में दक्षिणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:11 IST
Reason: SelfAttested

तरफ ढुकरियासर से लिखमादेसर जाने वाली सड़क लगती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की जमीन के दक्षिणी तरफ लिखमादेसर रोड़, उतरी तरफ तारूराम पुत्र प्रभूराम का खेत, पश्चिमी तरफ नोरगराम पुत्र दीपाराम का खेत तथा पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के हिस्सा पांति की जमीन है तथा अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के दक्षिण में सड़क, पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 10 की जमीन, उतरी तरफ तारूराम तथा पश्चिमी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की जमीन है । अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के पूरबी तरफ अप्रार्थी संख्या 10 भगवानी की जमीन है, अप्रार्थी संख्या 10 के पूर्वी तरफ भीखे खां की जमीन, दक्षिणी तरफ सड़क, उतरी तरफ तारूराम की जमीन है। इसी अनुसार खातेदारी के मौके पर मौखिक विभाजन कर रखा है। प्रार्थीगण के हिस्सा पांति की जमीन उतर–दक्षिण लम्बाई है, प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने धमकी नहीं है, दिनांक 18.10.2024 को प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण की कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिये प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। वादगत खेत खसरा नम्बर 929 तादादी 2.7700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 368 तादादी 7.3900 हैक्टेयर रोही मौजा ढुकरियासर स्वीकार है। प्रार्थी संख्या 1 का 1.5484 हिस्सा नहीं होकर 1.4215 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 का 6.1513 हैक्टेयर ना होकर 6.1366 हैक्टेयर जमीन है। प्रार्थीगण को किसी ने कोई धमकी नहीं दी । अप्रार्थीगण वादगत खसरान भूमि में सहखातेदार है, सभी सहखातेदार को अपनी हिस्सा भूमि को काश्त व उपयोग–उपभोग, ऋण लेने व अपने हिस्सा का विकास करने, सुधार करने का पूर्ण अधिकार है, हर खातेदार को अपनी जमीन बेचने, रहन या दिगर तरीके से मुन्तकिल करने का अधिकार होता है, प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को विधि द्वारा प्रदत अधिकारो से वंचित करने की बदनियति से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला है, ना ही सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू है, अगर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थीगण विधि द्वारा प्रदत अपने अधिकारो से वंचित हो जायेगे, इसलिये प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण का भी बनता है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है । प्रार्थीगण गलत प्रार्थना पत्र की आड़ में वादगत खसरान भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है व अप्रार्थीगण को वादगत खसरान भूमि से वंचित करना चाहता है, अगर प्रार्थीगण उसमें सफल हो जाता है तो अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं व इन्कार किया जाता है। प्रार्थीगण गलत तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। खसरा नम्बर 929 के सहखातेदारो ने मौखिक विभाजन कर रखा है। मौखिक विभाजन अनुसार इस खेत की पश्चिम तरफ की 10/63+10/63+1/63+1/63+1/63=13/63 हिस्सा यानि 0.5715 हैक्टेयर भूमि जिसके उतर में तारूराम, दक्षिण में लिखमादेसर सड़क, पूर्व में अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के हिस्सा की जमीन, पश्चिमी में नौरंगलाल पुत्र दीपाराम का खेत लगता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की जमीन के पूर्व तरफ अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 की जमीन है, जिसके पूरब में अप्रार्थी संख्या 10 के हिस्सा की जमीन, उतर में तारूराम की जमीन तथा दक्षिण में लिखमादेसर सड़क है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के पूरब में अप्रार्थी संख्या 10 के हिस्सा की जमीन है, जिसके पूरब में भीखे खां, दक्षिण में लिखमादेसर सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(बीकानेर)

तथा उतर में तारूराम का खेत लगता है, इसी अनुसार मौके पर काबिज है। सभी का हिस्सा पांति की लम्बाई उतर–दक्षिण है तथा सभी के हिस्सा के दक्षिण में सड़क लिखादेसर लगती है तथा अन्य खसरान भूमि में भी अप्रार्थीगण अपने हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादगत खसरान भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर अप्रार्थीगण का अपने हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। सभी सहखातेदार को अपने भूमि पर विकास कार्य करने, सुधार करने, ऋण आदि लेने का पूर्ण अधिकार होता है । प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण को उनके अधिकारो से वंचित करने पर आमदा है, प्रार्थीगण न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आये है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान, अजमेंर के न्यायिक दृष्टान्त 2024(1) DNJ [Rev.] पृष्ठ संख्या 494 से 498 व RRD 1989 पृष्ठ संख्या 758 से 761 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि हम अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत ख. सं 929 क्षै 2.77 है, ख. सं 365 क्षै 3.49 है, ख. सं 1011 क्षै 0.01 है, ख. सं 1012 क्षै 7.13 है, ख. सं 1110 क्षै 8.75 है, ख. सं 752 क्षै 9.19 है, ख. सं 368 क्षै 7.39 है, रोही ग्राम ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं जिसमें मुताबिक राजस्व रिकार्ड हमारा पैतृक हक हिस्सा स्थित है। वादगत खेतों में स्थित हम अप्रार्थीगण के हिस्सा पांति की भूमि पर हमारा ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। हम अप्रार्थीगण वादगत खेतों में मौका पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग के अनुसार अपने हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है जिसका कि हमे कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। हम अप्रार्थीगण ने वादगत खसरान के सहखातेदारों को वादगत खेतों का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवा लेने के लिए दिनांक 21.01.2025 को निवेदन किया तो वे स्पष्ट इंकार हो गये, और बिना विभाजन ही भूमि विक्रय कर देने की धमकी दी इसलिए अप्रार्थीगण के पास प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है। वादगत खेतों में हम अप्रार्थीगण का हक हिस्सा स्थित होने से हमारा प्रथम दृष्ट्या मामला बनता हैं यदि प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण अपनी गलत मंशा में सफल हो गये तो हम अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति व भारी असुविधा होगी इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। एवं अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण व वादगत खेतों के अन्य खातेदारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वह बिना विधिवत विभाजन के वादगत कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नही करे, हम अप्रार्थीगण के हिस्सा कब्जा काश्त में विघ्न पैदा नही करे नाही किसी [illegible] करावे। तादावा निर्णय मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जानें का निवेदन किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, [illegible]वली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष मूल वाद में तय किये जाने है। अप्रार्थीगण वादगत खसरान भूमि में सहखातेदार है, सभी सहखातेदार को अपनी हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

को काश्त व उपयोग–उपभोग, ऋण लेने व अपने हिस्सा का विकास करने, सुधार करने का पूर्ण अधिकार है, हर खातेदार को अपनी जमीन बेचने, रहन या दिगर तरीके से मुन्तकिल करने का अधिकार होता है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बनना साबित नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:03:11 IST
Reason: SelfAttested